न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारीः संजय कुमार गोरा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 15/2020
दायर दिनांकः 14.08.2020
निर्णय दिनांकः 09.09.2022

उनवान

प्रभूदयाल पुत्र गिरिया जाति मीना निवासी गोठडा ढाणी श्यामावाली तहसील दौसा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. ईश्वर पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी गोठडा ढाणी श्यामावाली तहसील दौसा जिला दौसा
2. काल्या पुत्र पांच्या जाति मीना निवासी गोठडा ढाणी श्यामावाली तहसील दौसा जिला दौसा
3. छोट्या पुत्र पांच्या जाति मीना निवासी गोठडा ढाणी श्यामावाली तहसील दौसा जिला दौसा
4. रामजीलाल पुत्र पांच्या जाति मीना निवासी गोठडा ढाणी श्यामावाली तह0 व जिला दौसा
5. पाल्या पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी गोठडा ढाणी श्यामावाली तहसील दौसा जिला दौसा
6. बन्ना पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी गोठडा ढाणी श्यामावाली तहसील दौसा जिला दौसा
7. रामेश्वर पुत्र चन्दा जाति मीना निवासी गोठडा ढाणी श्यामावाली तहसील दौसा जिला दौसा
8. शम्भू पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी गोठडा ढाणी श्यामावाली तहसील दौसा जिला दौसा
9. तहसीलदार तहसील, दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रभूदयाल पुत्र गिरिया जाति मीना ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 392 रकबा 4.60 है0 खसरा नम्बर 397 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.66 है0 कुल खसरा 4 कुल रकबा 6.14 है0 वाके ग्राम गोठडा तहसील, दौसा की राजस्व सीमा में स्थित है। अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 459 वाके ग्राम गोठडा तहसील दौसा में स्थित है, जो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 392 की मेड़ से लगती हुई है। ग्राम गोठडा में एक आम रास्ता खसरा नम्बर 459/2771 स्थित है जो [illegible] वाली की आबादी से निकलकर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज गै0 मु0 रास्ता खसरा नम्बर 459 की मेड तक जाता है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में [illegible] दर्शाया गया है। [illegible] रास्ता अप्राथीगण की खातेदारी में दर्ज गै0 मु0 रास्ता 459 तक जाता है। इससे आगे आम रास्ता नहीं है। आगे अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज गै0 मु0 रास्ता खसरा नम्बर 459 है, ओर खसरा नम्बर 459 गै0 मु0 रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 392 से लगता हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:14 IST
Reason: SelfAttested

लगातार....2....

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

खसरा नम्बर 392, 397, 398 व 399 में प्रार्थी अपने घर से जाने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर आम रास्ता खसरा नम्बर 459/2771 से होकर आगे अप्रार्थीगण की खातेदार में दर्ज गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 459 में होकर जाना पडता है, जो सुविधाजनक व कम दूरी है। जिसे नजरी नक्शे में हरूफ बी से सी तक दर्शाया गया है। वांछित रास्ता खसरा नम्बर 459 में होकर दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 500 फीट लम्बा एवं 10 फीट चौडा चाहा गया है, जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 392 से लगता हुआ है और हर प्रकार से सुविधाजनक है। प्रार्थी उक्त रास्ते से कृषि जोत के लिए अपने साधन ले जाकर अपनी खातेदारी भूमि की जुताई आदि करता चला रहा था, क्योंकि मौके पर यह रास्ता बना हुआ था। लेकिन अभी समस्त अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को यह कहते हुए बन्द कर दिया कि उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने व जुताई करने के लिए साधन ले जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। धारा 251(क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थी अपनी भूमि खसरा नम्बर [illegible], 397, 398 व 399 तक पहुँचने के लिए वांछित रास्ता खसरा नम्बर 459 के दक्षित से उत्तर की ओर आने–जाने के लिए तथा कृषि जोत के लिए वाहन ले जाने के लिए रास्ता चाहता है तथा श्रीमान के आदेशानुसार डीएलसी रेट की वर्तमान दर के मुताबिक नियमानुसार राशि देने को तैयार व तत्पर है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 392, 397, 398 व 399 तक आने–जाने व कृषि जोत के लिए वाहन ले जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 459 में होकर चाहा गया वांछित रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक एवं सुविधाजनक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 459 में होकर सुविधाजनक है क्योंकि खसरा नम्बर 459 गै0मु0 रास्ता है जो एक ओर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 392 की मेड से लगता हुआ है तथा दूसरी ओर आम रास्ता खसरा नम्बर 459/2771 से लगता हुआ है। इसलिए खसरा नम्बर 459 एक ओर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 392 को जोडता है तथा दूसरी ओर आम रास्ता खसरा नम्बर 459/2771 को जोडता है जो ढाणी शामवाली को जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि जोत के लिए वाहन ले जाने के लिए अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 459 में होकर दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 500 फीट लम्बा व 10 फीट चौडा मुताबिक नक्शा रास्ता धारा 251(क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक दिलवाया जावे व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के हक में इन्दाज किये जाने का आदेश तहसीलदार दौसा को फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 का जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार, दौसा ने इस सम्बन्ध में दिनांक 15.07.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख0 नं0 459 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता ईश्वर पुत्र [illegible] हि0 1/9 राहिन एसबीआई शाखा भाण्डारेज मूर्तहीन काल्या छोट्या रामज[illegible] राज0 मरूधरा ग्रा0 बैंक शाखा भाण्डारेज मूर्तहीन पाल्या बन्ना [illegible] हि0 [illegible]3 राहिन एसबीआई शाखा भाण्डारेज मूर्तहीन रामेश्वर पुत्र चन्दा हि0 1/9 शम्भू पुत्र [illegible] हि0 1/9 राहिन एसबीआई शाखा भाण्डारेज मूर्तहीनजाति मीना सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर ख0 नं0 459 में एक कुआं

लगातार....3....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

उचित है। खसरा नम्बर 451, 452 की किस्म बारानी–3 है, जबकि खसरा नम्बर 459 की किस्म गै0 मु0 रास्ता है। अतः खसरा नम्बर 451, 452 किस्म बारानी–3 होने के कारण खसरा नम्बर 459 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रास्ता दिया जाना अधिक उपयुक्त समझते हैं। अतः प्रार्थी प्रभूदयाल पुत्र गिरिया जाति मीना को ग्राम गोठडा तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 459 / 2771 से आगे खसरा नम्बर 459 में से 10 फीट चौडा रास्ता दक्षिण से उत्तर की ओर खसरा नम्बर 453, 454, 455, 458 के किनारे से लगते हुए खसरा नम्बर 392 तक आने–जाने के लिए दिया जावे। उपरोक्त रास्ते के लिए खसरा नम्बर 459 के खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार मुआवजे का भुगतान प्रार्थी प्रभूदयाल पुत्र गिरिया जाति मीना द्वारा किया जावेगा। तहसीलदार दौसा द्वारा खसरा नम्बर 459 में से प्रार्थी को देय रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि का आंकलन वर्तमान प्रावधानों के तहत कर तदनुसार मुआवजा राशि प्रार्थी से खसरा नम्बर 459 के खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार भुगतान करावे।

उक्त रास्ते में काम आने वाली भूमि में अभिधारी (काश्तकार) के सारे अधिकार निर्वापित हो जायेंगे और वह राजस्व अभिलेखों रास्ते के रूप में सिवाय चक खाते में दर्ज की जावे। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक होगा। प्रार्थी उक्त स्वीकृत रास्ते की भूमि में होकर आने–जाने के अलावा कोई अन्य अधिकार अर्जित नहीं कर सकता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:14 IST
Reason: SelfAttested

बना हुआ है तथा शेष भूमि खेतों में शामिल कर काश्त करने के काम में ली जा रही है। ख0 नं0 459 का दक्षिणी सिरा ख0नं0 459/2771 गै0मु0 रास्ता (सिवायचक) से एवं उत्तरी हिस्सा प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0 नं0 392 से लगता हुआ है। प्रार्थी ने 10 फीट (लगभग 3 मीटर) चौडा रास्ता चाहा है। इस प्रकार चाहे गये रास्ते की लम्बाई 220 मीटर मौके पर बनती है। जिसका कुल क्षेत्रफल 220×3 = 660 वर्ग मीटर होता है। तहसीलदार दौसा की उक्त रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने के कारण खसरा नम्बर 392 तक पहुँच का कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता है या नहीं तथा यदि नहीं तो सबसे छोटा रास्ता कौनसा है, इस संबंध में रिपोर्ट चाही गई। इस संबंध में तहसीलदार दौसा ने रिपोर्ट दिनांक 10.06.2022 द्वारा अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 392 तक पहुँच का कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 392 तक पहुँच का पूर्व प्रस्तावित रास्ता से छोटा कोई रास्ता नहीं है। किन्तु प्रार्थी के अन्य खसरा नम्बर 397, 398, 399 भी है, जो कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 392 से एक दूसरे से सटे हुए है। अतः पूर्व प्रस्तावित चाहे गये रास्ते से अलग एक अन्य छोटा रास्ता भी हो सकता है, जो खसरा नम्बर 459/2771 गै0मु0 रास्ता (सिवायचक) से खसरा नम्बर 451, 452 से होता हुआ प्रार्थी के खसरा नम्बर 399 में पहुँच जाता है। प्रार्थी ने 10 फीट लगभग 3 मीटर चौडा रास्ता चाहा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 451 में से 68 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौडाई तथा खसरा नम्बर 352 मे 36 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौडाई प्रस्तावित संलग्न नजरिये नक्शानुसार है। इस प्रकार नवीन प्रस्तावित चाहे गये रास्ते की कुल लम्बाई 104 मीटर व चौडाई 3 मीटर से कुल रकबा 312 वर्गमीटर प्रस्तावित होता है।

प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि जोत के लिए वाहन ले जाने के लिए अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 459 में होकर खसरा नम्बर 392 तक पहुँच हेतु अथवा खसरा नम्बर 451, 452 में से होकर प्रार्थी के खसरा नम्बर 399 तक पहुँच हेतु तहसीलदार दौसा द्वारा सुझाये गये, उक्त दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी स्वयं की कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि जोत के लिए वाहन ले जाने के लिए अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 459 में होकर दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 500 फीट लम्बा व 10 फीट चौडा रास्ता चाहता है। तहसीलदार दौसा से खसरा नम्बर 392 तक पहुँच का कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता है या नहीं तथा यदि नहीं तो सबसे छोटा रास्ता कौनसा है, इस संबंध में रिपोर्ट चाही गई थी। इस संबंध में तहसीलदार दौसा ने अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 392 तक पहुँच का अन्य कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता नहीं है। किन्तु प्रार्थी के अन्य खसरा नम्बर 397, 398, 399 भी है, जो कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 392 से एक दूसरे से सटे हुए है। अतः पूर्व प्रस्तावित चाहे गये रास्ते से अलग एक अन्य छोटा रास्ता भी हो सकता है, जो खसरा नम्बर 459/2771 गै0मु0 रास्ता (सिवायचक) से खसरा नम्बर 451, 452 से होता हुआ प्रार्थी के खसरा नम्बर 399 में पहुँच जाता है। तहसीलदार द्वारा सुझाये गये खसरा नम्बर 451, 452 की किस्म बारानी–3 है। तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है बल्कि इसकी वास्तविक आवश्यकता है। इस हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाना

लगातार....4....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी
दौसा (रा